वाणिज्यिक बीमा के सभी रूप हराम हैं

﴿ تحريم التأمين التعاوني بجميع صوره ﴾

[*हिन्दी* - **Hindi** - هندي]

मुहम्मद सालेह अल-मुनज्जिद

अनुवादः अताउर्रहमान ज़ियाउल्लाह

2010 - 1431

islamhouse.com

﴿ تحريم التأمين التعاوني بجميع صوره ﴾

« باللغة الهندية »

محمد صالح المنجد

ترجمة: عطاء الرحمن ضياء الله

2010 - 1431

islamhouse.com

بسم الله الرحمن الرحيم

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

मैं अति मेहरबान और दयालु अल्लाह के नाम से आरम्भ करता हूँ।

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وبعد:

हर प्रकार की हम्द व सना (प्रशंसा और गुणगान) अल्लाह के लिए योग्य है, हम उसी की प्रशंसा करते हैं, उसी से मदद मांगते और उसी से क्षमा याचना करते हैं, तथा हम अपने नफ्स की बुराई और अपने बुरे कामों से अल्लाह की पनाह में आते हैं, जिसे अल्लाह तआला हिदायत दे दे उसे कोई पथभ्रष्ट (गुमराह) करने वाला नहीं, और जिसे गुमराह कर दे उसे कोई हिदायत देने वाला नहीं। हम्द व सना के बाद :

वाणिज्यिक बीमा के सभी रूप हराम हैं

प्रश्नः

मैं ने यह बात सुनी है कि बीमा हराम (निषिद्ध) है चाहे वह सहकारी बीमा हो या उस के अलावा कोई अन्य बीमा, मैं क्या करूँ जबकि मैं ने अपनी कार और ड्राइविंग लाइसेंस का बीमा करवा लिया है, तथा मैं स्वास्थ्य और जीवन बीमा करवाने का भी इरादा रखता हूँ ?

उत्तरः

हर प्रकार की प्रशंसा और गुणगान अल्लाह के लिए योग्य है।

प्रथम :

बीमा के दो प्रकार हैं, वाणिज्यिक (व्यावसायी) और सहकारी, और इन दोनों के बीच कुछ अन्तर हैं जो प्रश्न संख्या : (36955) के उत्तर में स्पष्ट किये जा चुके हैं (और वह प्रश्न "अत्तआ-उनिय्या बीमा कंपनी के शेयर खरीदने का हुक्म" नामी शीर्षक के साथ इस साइट पर उपलब्ध है), और सहकारी बीमा जाइज़ है यदि उस में उन नियमों का पालन किया गया हो जो पिछले दो प्रश्नों के उत्तर में वर्णित हैं, किन्तु इस का अस्तित्व दुर्लभ है, कुछ कंपनियों ने यह दावा किया है कि वे सहकारी बीमा के नियमों और सिद्धान्तों का पालन करती हैं, जबकि वस्तुस्थिति यह है कि वे जो कुछ गतिविधियाँ करती हैं वह वाणिज्यिक बीमा से बाहर नहीं है।

दूसरा :

जो आदमी सरकार (राज्य प्रशासन) की तरफ से लाइसेंस या गाड़ी का बीमा करवाने पर मजबूर है, तो ऐसी स्थिति में उस पर बीमा करवाने में कोई गुनाह नहीं है, परन्तु वह उसे केवल

उसी पर सीमित रखेगा जिस के द्वारा वह अपने आप से नुकसान को दूर कर सके, उस के लिए व्यापक (सम्पूर्ण) बीमा करवाना सही नहीं है, जबकि दूसरे के विरूद्ध बीमा मौजूद है ; क्योंकि शरीअत के सिद्धान्तों और नियमों में से एक यह है कि ज़रूरत को ज़रूरत की मात्रा तक ही सीमित रखा जायेगा। तथा प्रश्न संख्या : (45918) का उत्तर भी देखिये।

तीसरा :

स्वास्थ्य बीमा और जीवन बीम जाइज़ नहीं है, प्रश्न संख्या : (10805) और (39474) (और वह प्रश्न "बीमा का लाभ उठाना" नामी शीर्षक के साथ इस साइट पर उपलब्ध है) के उत्तर भी देखिये।

और अल्लाह तआला ही सर्वश्रेष्ठ ज्ञान रखता है।

इस्लाम प्रश्न और उत्तर